उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
CIN : U40101UP1980SGC005065

संख्याः 119 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2021–5(37)मा0सं0(04) / 2020 (टी0सी0) दिनाँक : 09/02/2021

मुख्य अभियन्ता (स्तर– I),
ओबरा / अनपरा / पारीछा / हरदुआगंज
तापीय विद्युत परियोजना,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
ओबरा / अनपरा (सोनभद्र) / पारीछा (झाँसी) /
कासिमपुर (अलीगढ़)।

मुख्य अभियन्ता (स्तर– II),
पनकी ताप विद्युत गृह / जवाहरपुर वि0उ0नि0लि0,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
पनकी (कानपुर) / मलावन (एटा)।

विषय : कोविड–19 की टेस्टिंग के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश एवं निर्धारित दर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–1828 / पाँच–5–2020 / चिकित्सा अनुभाग–5 दिनांक 10.09.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा कोविड–19 की टेस्टिंग के सम्बन्ध में पुनरीक्षित दिशा–निर्देश जारी किये गये है तथा उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–5 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1794 / पाँच–5–2020 दि0 10.09.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच हेतु लिये जाने वाले शुल्क की धनराशि निर्धारित की गयी है। उपरोक्त शासनादेश की अनुरूपता में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, ने भी अपने पत्रांक 2594–औ0सं0–17 / पावर कारपोरेशन लि0 / 2020 दिनांक 18.09.2020 द्वारा शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश एवं निजी प्रयोगशालाओं में करायी गयी कोरोना वायरस संक्रमण की जाँच हेतु लिये जाने वाले शुल्क की धनराशि अपने कार्मिकों हेतु अनुमन्य की है।

उपर्युक्त शासनादेशों एवं उ0प्र0पा0का0लि0 की अनुरूपता में कोविड–19 की टेस्टिंग के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश एवं निजी प्रयोगशालाओं में करायी गयी उक्त जाँच हेतु निर्धारित धनराशि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, के कार्मिकों को भी अनुमन्य की जायेगी।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,
09.02.21
(आर0 एन0 श्रीवास्तव)
अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–04)

संख्या : 119 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमश : 2/–

2. निदेशक (तकनीकी / वित्त / कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन / परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर / निजी सचिव।
3. मुख्य अभियन्ता (स्तर– I), पी0पी0एम0एम0 / तापीय परिचालन, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर– II), मा0सं0 / जानपद–नवपरियोजनायें / पर्यावरण एवं सुरक्षा / ईंधन / नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण / वाणिज्य, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर– II), न्यू कोल ब्लाक, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0 / 46वी, समाज कल्याण बिल्डिंग, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
6. मुख्य अभियन्ता(निर्माण) / जानपद, 2x660 जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन (एटा)।
7. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अध्यक्ष / सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0 / 46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य लेखाधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी, ओबरा / अनपरा / पारीछा / हरदुआगंज / पनकी ताप विद्युत गृह / जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना ,उ0प्र0रा0वि0उ0 नि0लि0,ओबरा / अनपरा(सोनभद्र) / पारीछा(झाँसी) / हरदुआगंज(अलीगढ़) / पनकी(कानपुर) / मलावन (एटा)।
12. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. अधी0अभि0 / उप महाप्रबनधक (01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06) / टाण्डा वाइंडिग एवं संसदीय कार्य / प्रशिक्षण / तापीय परिचालन / जानपद / उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. उप महाप्रबन्धक / कार्मिक अधिकारी (औद्योगिक सम्बन्ध), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. कट फाइल।

संलग्नक : यथोपरि।

आज्ञा से,

09.02.21.

(आर0 एन0 श्रीवास्तव)
अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–04)

संख्या–1828 / पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ :दिनांक :10 सितम्बर, 2020

विषय–कोविड–19 की टेस्टिंग के सम्बन्ध में पुनरीक्षित दिशा–निर्देश।

महोदय,

कोविड–19 रोग की जाँच के सम्बन्ध में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 04.09.2020 को पुनरीक्षित दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके कम में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 द्वारा अपने पत्र संख्या–21फ / 12067, दिनांक 10.09.2020 के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2– तत्कम में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कोविड–19 टेस्टिंग की कार्यवाही निम्नलिखित प्रकार से सुनिश्चित की जाए :–

(क) कन्टेनमेन्ट जोन में :–

जाँच विधि का वरीयता क्रम –

1– रैपिड एंटीजन टेस्ट
2– आर टी पी सी आर / ट्रूनाट / सी बी नाट

जाँच हेतु पात्रता :

1– आई0एल0आई0 के लक्षणयुक्त सभी व्यक्ति (चिन्हांकन के 48 घण्टे के अन्दर) जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता सम्मिलित हैं। सभी ऐसे लक्षणयुक्त व्यक्ति, जिनकी एंटीजन टेस्टिंग के द्वारा जाँच ऋणात्मक पाई गयी हो, उनकी जांच पुनः आर0टी0पी0सी0आर0 से कराई जाएगी।
2– कन्टेनमेंट जोन में सभी लक्षणविहीन उच्च जोखिम व्यक्ति (60 वर्षीय एवं उससे अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, सहरूग्णता वाले व्यक्ति आदि) की जाँच RTPCR के माध्यम से करायी जाएगी।
3– किसी भी प्रकार की प्रयोगशाला जाँच में कोविड धनात्मक पाए गए रोगी के सम्पर्क में आए व्यक्ति (इनमें परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त घरेलू कार्य करने तथा साथ में कार्य करने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित हैं)
4– समस्त लक्षणविहीन एवं उच्च जोखिम वाले व्यक्ति के सम्पर्क में आने के 5वें एवं 10वें दिवसों के मध्य एक बार जाँच की जाएगी। यथासम्भव यह जाँच दो बार आईवरमेक्टिन एवं यथावश्यक हाइड्रोक्लोरोक्वीन के सेवन के पश्चात 8वें से 10वें दिन के बीच करायी जानी चाहिए।

नोटः

उच्च धनात्मकता दर वाले स्थानों में कन्टेनमेन्ट जोन में रैपिड एंटीजन टेस्ट / आर0टी0पी0सी0आर0 द्वारा अधिक से अधिक व्यक्तियों की जाँच करायी जानी चाहिए।

(ख) गैर कन्टेनमेन्ट जोन में :–

जाँच विधि का वरीयता क्रम –

1– आर टी पी सी आर / ट्रूनाट / सी बी नाट
2– रैपिड एंटीजन टेस्ट

go pankaj com-3

–2–

जाँच हेतु पात्रता :

1– गत 14 दिवसों में अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के इतिहास वाले आई0एल0आई0 लक्षणयुक्त सभी व्यक्ति।

2– प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड जाँच में पुष्ट रोगियों के सम्पर्क में आए आई0एल0आई0 लक्षणयुक्त सभी व्यक्ति।

3– कन्टेनमेंट जोन एवं शमन गतिविधियों में कार्यरत आई0एल0आई0 लक्षणयुक्त स्वास्थ्यकर्मी एवं प्रथम–पंक्ति–कार्यकर्ता।

4– अन्य स्थानों से वापस आने वाले ऐसे प्रवासी जिनमे कोई लक्षण प्रदर्शित होता हो, लक्षण प्रदर्शित होने के 7 दिन के भीतर उनकी जाँच करायी जानी चाहिए।

(ग) चिकित्सालयों में रोगियों की कोविड–19 जाँच हेतु नियम :–

जाँच विधि का वरीयता क्रम –

1– आर टी पी सी आर/ट्रूनाट/सी बी नाट

2– रैपिड एंटीजन टेस्ट

जाँच हेतु पात्रता :

1– गंभीर तथा अकस्मात श्वसन संक्रमण (SARI) से ग्रसित रोगी।

2– चिकित्सालयों में रोगसूचक लक्षणों के साथ आने वाले (आई0एल0आई0 लक्षण) समस्त रोगी ।

3– चिकित्सालय में भर्ती अथवा तत्काल भर्ती की आवश्यकता वाले लक्षणविहीन उच्च–जोखिम वाले रोगी, यथा–निम्न रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले व्यक्ति, कैंसर रोगी, प्रत्यारोपण वाले रोगी, दीर्घावधि सह रूग्णता वाले रोगी, 65 वर्षीय व उससे अधिक आयु के व्यक्ति।

4– सर्जिकल/गैर–सर्जिकल इन्वेसिव प्रकियाओं से गुजरने वाले लक्षणविहीन रोगी (चिकित्सालय में अवस्थान के दौरान सप्ताह में एक बार से अधिक जाँच नहीं की जाएगी)।

5– प्रसव–पीड़ा में अथवा उसकी निकट स्थिति में प्रसव हेतु भर्ती समस्त गर्भवती महिलाएं।

ध्यानाकर्षण योग्य बिन्दु :

- परीक्षण की अनुपलब्धता के कारण किसी भी आपातकालीन प्रकिया (प्रसव सहित) को विलंबित नहीं किया जायेगा, उपरिलिखित सभी बिन्दुओं में से कोई परिस्थिति होने पर नमूना जाँच के लिए भेजा जा सकता है।
- गर्भवती महिलाओं को परीक्षण की अनुपलब्धता के कारण वापस/अन्यत्र नहीं भेजा जाना चाहिए। नमूने एकत्र करने और स्थानान्तरित करने सम्बन्धी सभी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों द्वारा की जानी चाहिए।
- वे माताएं, जो कोविड पॉजिटिव हैं, उन्हें 14 दिनों के लिए अपने बच्चे की देखभाल के दौरान मास्क पहनने और बार–बार साबुन से हाथ धोने की सलाह दी जानी चाहिए। नवजात को स्तनपान कराने से पूर्व स्तनों की सफाई के लिए सलाह दी जानी चाहिए। इन उपायों से उनके शिशुओं में कोविड–19 के संक्रमण के संचरण में कमी आएगी।
- समस्त लक्षणयुक्त नवजात शिशु जिनमें अकस्मात श्वास रोग अथवा संक्रमण के लक्षण प्रकट होतें हैं। नवजात शिशु में बुखार के साथ या बिना बुखार के, खाँसी के साथ या इसके बिना श्वासावरोध (एप्निया)/श्वसन सम्बन्धी बीमारी जैसे लक्षण, शिशुओं में यह रोग श्वसन तंत्र के लक्षणों से इतर लक्षणों (यथा बुखार, सुस्ती, दूध न पीना, झटके आना, दस्त होना) के साथ भी प्रदर्शित हो सकता है।

- असामान्य लक्षण परिलक्षित करने वाले रोगियों (जैसे–स्ट्रोक, एन्सेफलाइटिस, हीमोप्टीसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तीव्र कोरोनरी लक्षण, गुलियन बारे सिन्ड्रोम, मल्टीपल आर्गन, डिसफंक्शन सिन्ड्रोम, प्रोग्रेसिव गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिम्पटम्स, कावासाकी डिजीज (बाल्य चिकित्सा आयु समूह में) इत्यादि में रोगी की कोविड जाँच कराये जाने का निर्णय उपचार करने वाले चिकित्सक के विवेकानुसार लिया जा सकता है।

<u>(घ) ऑन डिमांड कोविड जाँच (On Demand Testing) हेतु पात्रता</u> –

1– ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी ऐसे स्थान की यात्रा करने वाले हैं जहाँ यात्रा से पूर्व कोविड ऋणात्मक रिपोर्ट की उपलब्धता अनिवार्य है।

2– कोविड धनात्मक व्यक्तियों के संपर्क में आये व्यक्तिः ऐसे व्यक्तियों को जाँच कराते समय उस कोविड धनात्मक व्यक्ति का नाम तथा मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराना होगा, जिसके वे संपर्क में आएं हैं।

3– ऐसे व्यक्ति जो किसी शल्य क्रिया अथवा किसी अन्य रोग के उपचार हेतु किसी चिकित्सालय में भर्ती होने से से पूर्व जाँच कराना चाहते हैं।

4– ऐसा व्यक्ति जिसमें SARI या ILI के लक्षण आ गए हो।

<u>अन्य महत्वपूर्ण बिंदु :</u>

- उपरोक्त परिस्थितियों में जाँच बिना डॉक्टर के पर्चे के करायी जा सकेगी।
- किसी व्यक्ति का सैंपल उसके निवास से एकत्र करने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- कोविड पॉजिटिव पाये जाने पर व्यक्ति का नाम, पता स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा। निजी प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक होगा कि जाँच किए जा रहे व्यक्ति का फोन नम्बर उनके द्वारा फोन करके पुष्ट कर लिया जाएगा ताकि बाद में कान्टैक्ट ट्रेसिंग में कठिनाई न हो।
- पहचान पत्र की छायाप्रति भी लेना अनिवार्य होगा।
- जाँच कराने वाले व्यक्ति का दायित्व होगा कि वह जाँच हेतु एक ही फोन नंबर एवं पहचान पत्र का उपयोग करेगा। अलग–अलग, प्रयोगशालाओं में अलग–अलग फोन नंबर एवं पहचान पत्र का प्रयोग करना दंडनीय होगा।
- सभी हेल्थ केयर वर्कर्स एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो संदिग्ध/पुष्टीकृत कोविड–19 मरीजों के सम्पर्क में आते हैं, उनके द्वारा समुचित पी0पी0ई0 का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- वैकल्पिक सर्जरी प्रक्रिया से पहले संक्रमण की सम्भावना को कम करने हेतु सभी व्यक्तियों के लिए 14 दिनों का होम क्वारेन्टाईन की सिफारिश की जाती है।

<u>जाँच की आवृत्ति :</u>

1. आर टी पी सी आर/ट्रूनाट/सी0बी0नाट एवं रैपिड एंटीजन टेस्ट में से किसी भी प्रकार की जाँच में धनात्मक पाए गए व्यक्ति की धनात्मक जाँच को पुष्ट माना जाए। ऐसी स्थिति में पुनः कोई जाँच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।
2. कोविड धनात्मक रोगी के क्लिनिकली रोगमुक्त हो जाने के बाद उसको कोविड उपचार इकाई से विमुक्त करने से पूर्व किसी प्रकार की जाँच की आवश्यकता नहीं है।
3. यदि किसी व्यक्ति की रैपिड एंटीजन टेस्ट विधि से जाँच ऋणात्मक आने के उपरान्त ऐसे व्यक्ति में लक्षण प्रदर्शित होते हैं तो पुनः आर टी पी सी आर विधि द्वारा जाँच करायी जानी चाहिए।

परिभाषाएँ:

- डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा आई0एल0आई0 (ILI) केस की परिभाषा : प्रत्येक वह व्यक्ति जो अकस्मात श्वसन संकमण के साथ बुखार $\geq$ 38 डिग्री सेल्सियस एवं पिछले 10 दिनों से खांसी से ग्रसित हो।
- डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा एस0ए0आर0आई0 (SARI) केस की परिभाषाः प्रत्येक वह व्यक्ति, जो तीव्र श्वसन संकमण के साथ बुखार $\geq$ 38 डिग्री सेल्सियस एवं पिछले 10 दिनों से खांसी से ग्रसित हो और उसको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।

3– यह आदेश उ0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम–2020 तथा उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 विनियमावली, 2020 के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं। कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

10.9.20

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1828 (1)/पॉच–5–2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) राज्य सर्विलान्स अधिकारी, आई0डी0एस0पी0, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

10/9/2020

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

go pankaj com-3